न्यायालय अपर जिला जज, प्रथम, जौनपुर।
उपस्थित–अनिल कुमार यादव प्रथम (एच०जे०एस०)
सिविल अपील सं०–58/2019
सी०एन०आर०सं०– UPJP010054892019
सालिकराम आदि बनाम मेवालाल आदि

निर्णय

प्रश्नगत सिविल अपील, न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०), प्रथम, कोर्ट नं०–9, जौनपुर द्वारा मूलवाद सं० 11/1987 मेवालाल साहू आदि बनाम रमदेई आदि में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 30.10.2012 के विरूद्ध योजित की गई है।

अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही आदेश 17 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत की गई है, जो विधितः गलत है। प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में वाद की कार्यवाही आदेश 17 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत नहीं की जा सकती। इसी के साथ प्रत्यर्थीगण की ओर से एक अन्य आधार यह भी लिया गया है कि पत्रावली में प्रतिवादी सं०–5 पत्ती देवी तथा प्रतिवादी सं०–6 रामप्रसाद की मृत्यु साक्ष्य के दौरान(काफी पूर्व) हो चुकी थी, लेकिन वादीगण की ओर से उसके विधिक वारिसानों को मुकदमें में प्रतिस्थापित नहीं किया गया। मृतक प्रतिवादीगण के विरुद्ध पारित डिक्री शून्य है। अपीलार्थीगण की ओर से याचना की गई कि उक्त आधारों पर पत्रावली को अवर न्यायालय इस आशय से प्रेषित की जाए कि मृतक प्रतिवादीगण के विधिक वारिसानों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् वाद का अंतिम निस्तारण सिविल प्रक्रिया संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार पुनः करें।

अपीलार्थीगण की ओर से लिए गए उक्त आधार विधिक प्रकृति के हैं। इस बिन्दु का निस्तारण पहले किया जाना आवश्यक है। अतः इनका निस्तारण पहले किया जा रहा है।

जहाँ तक अपीलार्थीगण द्वारा संस्थित अपील में लिये गये उक्त आधारों का प्रश्न है प्रत्यर्थीगण की ओर से लिखित बहस दाखिल कर कथित किया गया है कि पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अतः न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए दिनाँक 22.08.2012 को वाद की कार्यवाही आदेश 17 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रसारित की गई, जो पूर्णतया विधि संगत है। प्रत्यर्थीगण की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थीगण की ओर से पूर्व में पुर्नस्थापन प्रार्थनापत्र भी प्रेषित किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय तक स्वीकार नहीं किया गया। बादहु अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील संस्थित की गई। जहाँ तक प्रत्यर्थीगण द्वारा लिये गये उक्त तर्कों का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में वाद की कार्यवाही आदेश 17 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत की गई है, इसलिए प्रस्तुत मामले में सिविल अपील ही संस्थित की जा सकती थी, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश 17 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत की गई कार्यवाही पूर्णतया विधिक है। इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता में दिये गये उक्त प्रावधान का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 17 नियम 3 यह उपबन्धित करता है कि–जहां वाद का कोई ऐसा पक्षकार जिसे समय अनुदत्त किया गया है, अपना साक्ष्य पेस करने में या अपने साक्षियों को हाजिर कराने में या वाद की आगे प्रगति के लिए आवश्यक कोई ऐसा अन्य कार्य करने

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.25 16:12:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur.

में जिसके लिए समय अनुज्ञात किया गया है, असफल रहता है वहाँ न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम के होते हुए भी–

(क) यदि पक्षकार उपस्थित हों तो वाद को तत्क्षण विनिश्चित करने के लिए अग्रसरण हो सकेगा अथवा

(ख) यदि पक्षकार या उनमें से कोई अनुपस्थिति हों तो नियम 2 के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।

आदेश 17 नियम 2 यह उपबन्धित करता है कि– वाद की सुनवाई जिस दिन के लिए स्थगित हुई है यदि उस दिन पक्षकार या उनमें से कोई उपसंजात होने में असफल रहते हैं, तो **न्यायालय आदेश 9 द्वारा उस निमित्त निर्दिष्ट ढंगों में से एक से वाद का निपटारा के लिये अग्रसर हो सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो यह ठीक समझे।**

पत्रवाली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि पत्रवाली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत रही न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण दिनाँक 03.07.2012 को प्रतिवादी के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया और दिनाँक 22.08.2012 को यह निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रतिवादी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आ रहा है। अतः पत्रवाली की कार्यवाही आदेश 17 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत अग्रसारित की गई। आदेश 17 नियम 3 सी.पी.सी. में उपबन्धित प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि **यदि पक्षकार या उनमें से कोई अनुपस्थिति हों** तो न्यायालय आदेश 17 नियम 2 के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।

आदेश 17 नियम 2 यह उपबन्धित करता है कि– वाद की सुनवाई जिस दिन के लिए स्थगित हुई है यदि उस दिन पक्षकार या उनमें से कोई उपसंजात होने में असफल रहते हैं, तो न्यायालय **आदेश 9 द्वारा उस निमित्त निर्दिष्ट ढंगों में से एक से** वाद का निपटारा के लिये अग्रसर हो सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो यह ठीक समझे।

प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि प्रतिवादी कथित दिनाँक पर अनुपस्थित रहा था। अतः विद्वान अवर न्यायालय को आदेश 17 नियम 2 सी.पी.सी. में उपबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अवर न्यायालय द्वारा वादी की कार्यवाही आदेश 17 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत की गई है, जो विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि आदेश 17 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत कार्यवाही पक्षकारों की उपस्थिति में ही संभव है।

जहाँ तक अपीलार्थीगण की ओर से लिए गए इस आधार का कि दौरान साक्ष्य प्रतिवादी सं०–5 पत्ती देवी व प्रतिवादी सं०–6 रामप्रसाद की मृत्यु क्रमशः दिनाँक 11.02.2012 तथा 16.08.2004 हो चुकी थी और वादीगण/प्रत्यर्थीगण के द्वारा उनके विधिक वारिसानों को पत्रवाली में प्रतिस्थापित नहीं किया गया था, यह तथ्य स्वयं प्रत्यर्थीगण को भी स्वीकार है। उनकी ओर से यह तर्क किया गया है, चूंकि प्रस्तुत वाद आदेश 1 नियम 8 के तहत संस्थित किया गया है। अतः मृतक प्रतिवादीगण के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित न किये जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्यर्थीगण की ओर से उक्त तर्क के समर्थन में कोई विधिक उपबन्ध/विधि व्यवस्था न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि न्यायालय द्वारा वादीगण को आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के तहत वाद संस्थित किये जाने की अनुमति भी प्रदान नहीं की गई है। अपीलार्थीगण का तर्क है कि वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं०–6ग अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस पर न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थीगण की ओर से इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कथन अपनी आपत्ति में नहीं किया गया है। पत्रवाली के अवलोकन से यह

विदित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय की ओर से प्रार्थनापत्र 6ग पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

2009 (3) AWC 2341(SC) T. Gnanavel Vs. T.S. Kanagaraj and another के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि मृतक प्रतिवादी के विरुद्ध पारित डिक्री शून्य है, यदि वादीगण द्वारा मृतक प्रतिवादीगण के वारिसों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4(4) सी.पी.सी. प्राप्त नहीं की गयी है। इसी प्रकार का मत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil appeal–**2025 INSC 1283(Arising out of SLP(Civil) No. 9947 of 2024) Vikram Bhalchandra Ghongade Vs. The State of Maharashtra & ORS.** के मामले में व्यक्त किया गया है। इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि– Void decree carries no legal force and its invalidity may be raised at any stage, even during execution. It also clarifies the limited scope of Order XXII Rule 6 CPC, which cannot be invoked when death occurs before the hearing of a case.

उपरोक्त विवेचन एवं माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित विधि व्यवस्था के प्रकाश में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित मूलवाद सं०–11/1987 मेवालाल साहू आदि बनाम रमदेई आदि में पारित डिक्री शून्य है। अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित सिविल अपील उपरोक्तानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित सिविल अपील सं०–58/2019 सालिकराम आदि बनाम मेवालाल आदि उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है। मूलवाद सं०–11/1987 मेवालाल साहू आदि बनाम रमदेई आदि में पारित डिक्री निर्णय/आदेश दिनांकित 30.10.2012 निरस्त किया जाता है। तद्नुसार विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वे मृतक प्रतिवादीगण के विधिक वारिसानों को नियमानुसार प्रतिस्थापित करें और उन्हें साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें।

आदेश की प्रति के साथ मूल पत्रवाली विद्वान अवर न्यायालय प्रेषित हो।

दिनांक–25.03.2026

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर ।
जे०ओ० कोड – यू०पी० 6112

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–25.03.2026

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर ।
जे०ओ० कोड – यू०पी० 6112